न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्याः— [illegible]/2025
प्रकरण दर्ज दिनांकः— 19.12.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक :— 29.12.2025

राजस्थान सरकार बनाम भौरीदेवी व अन्य

पटवार मण्डल गादरवाडा गुजरान के राजस्व ग्राम रामपुरा पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत्

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक राजस्व/रास्ता प्रकरण/2025/1595 दिनांक 05.12.2025 द्वारा राजस्व ग्राम रामपुरा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 493, 495, 496 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की ताईद में भू0अभि0निरीक्षक गुढलिया पटवार हल्का गादरवाडा गुजरान द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2025 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2075—78 ग्राम रामपुरा खाता संख्या नया 57 पुराना 60 एवं खाता संख्या नया 44 पुराना 51 एवं संलग्न नक्शा ट्रैस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जरिये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण/खातेदारान बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण खातेदारों/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न भू0अ0 निरीक्षक गुढलिया एवं पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2025 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से मौके पर रास्ता चालू [illegible]। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् निवेदन किया है। अतः प्राप्त [प्र]स्ताव संलग्न भू0अभि0निरीक्षक गुढलिया एवं पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान मौका रिपोर्ट दिनांक [0]1.12.2025 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का [राज]स्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम रामपुरा [पटवा]र हल्का गादरवाडा गुजरान भू0अभि0नि0 गुढलिया स्थित भूमि खाता संख्या नया 44 पुराना 51 के [खसरा] नम्बर 493 रकबा 0.15 है0 में से 0.0064 है0, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.13 है0 में से 0.0064 [है0 ए]वं भूमि खाता संख्या नया 57 पुराना 60 के खसरा नम्बर 496 रकबा 0.38 है0 में से 0.0240 है0 [सं]लग्न नक्शा ट्रैस में प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये [जाते हैं]। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार [राजस्व] रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली [तै]यार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/12/25
(रामसिंह राजावत)
उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

रा.मु. मु. 33 4-2000-10 लाख फा

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

सरकार बनाम [illegible] देवी व अन्य

विषय मुकदमा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 131 [illegible] नं० 169 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/25	तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु प्रस्ताव न्यायालय हजा में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस/सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 26/12/25 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
26/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सरकार पैरोकार उप०। वास्ते तलबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की जाकर पत्रावली दिनांक 29/12/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
29/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सरकार पैरोकार उप०। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अतः खातेदारो/अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म जो ... से जारी हुए
	प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक मौका रिपोर्ट राजस्व ग्राम रामपुरा पर चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी यथावत रहेगी। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner